[illegible]

01/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हा॰।
वादी का वाद डिक्री किया जाता है।
डिक्री जारी की जावे [illegible] मिसल
किया गया। [illegible] फैसल दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

श्वेन्सु प्रकरण संख्या :- 2/16 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :- 13/1/16 श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

1. मूलचन्द पुत्र गल्लूराम जाति माली निवासी बावड़ी वालो की ढाणी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. धन्नालाल } पि0 श्रीनारायण
2. पन्नालाल }
3. रघूनाथ } पि0 चुन्नीलाल
4. मूलचन्द }
5. नानगराम } पि0 सुखपाल
6. रामगोपाल }

जाति महाजन निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज0

7. पांल्या } पि0 बिरदा जाति माली निवासी कस्बा लालसोट जिला
8. गैन्दा } दौसा राज0
9. रामप्रसाद पुत्र हरिराम जाति ब्रह्मण निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 01/7/22

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

उपस्थित :- श्री संजीव कुमार जोशी एडवोकेट – वादी की ओर से

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की एकतरफा कार्यवाही

पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय बाबत प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 4272/877 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 4273/877 रबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 874 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज है उक्त भूमि की खातेदारी भूमि के समीप ही स्थित है जिसे प्रतिवादीगण ने वादी के पिता गल्लूराम को निजी उपयोग हेतू दे दी थी जिसे काफी रूपया खर्च कर झेरा व खण्डहर को समतल कर उपजाउ बनाया जिस पर वादी के पिता गल्लूराम की मृत्यु के बाद वादी तनहा काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी वादग्रस्त पर वादी के कब्जे काश्त मे कोई रूकावट बाधा नही आई लेकिन बाद मे प्रतिवादीगण की नियम मे फितुर आने के बाद प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त को 12,000/– रूपये प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 07–06–1978 को हरिशंकर शर्मा की बकलम 50/– नये पैसे के स्टाम्प पर विक्रय इकरारनामा भी वादी के पक्ष मे तहरीर कर दिया तत्पश्चात भी वादी के कब्जा काश्त पूर्वानुसार लगातार चलता आ रहा है। प्रतिवादीगण अब गुपचुप में अपने नाम दर्ज खातेदारी के इन्द्राज के बल पर आराजी वादग्रस्त को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इस हेतू दिनांक 30–12–2015 को वादी जब आराजी वादग्रस्त पर झाडफुस साफ कर रहा था तो 2–4 लोग आराजी वादग्रस्त पर आ गये तथा वादी को आराजी वादग्रस्त से जबरन बेदखल करने उसे खुर्द बुर्द करने की एंलानिया धमकी दी। वादी आराजी वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर निविर्वाद बेरोकटोक प्रतिवादीगण क जानकारी को बावजुद काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इसलिए वादी को आराजी वादग्रसत पर कब्जा मुखालफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा प्रतिवादीगण को आराजी वादग्रस्त से वादी के बेदखल करने के बाद प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष भी समाप्त हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (4) के अनुसार खातेदारी अधिकार विलुप्त हो चुके है तथा वादी ने वादपत्र आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 4272/877 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 4273/877 रबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 874 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट का खातेदारी काबिज काश्तकार उद्घोषित करने की दादरसी चाही है तथा प्रतिवादगण को आराजी वादग्रस्त मे वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी पैदा नही करने तथा खुर्द बुर्द नही करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की दादरसी चाही है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवदी संख्या 1 लगायत 9 की तलबी नही होने पर दिनांक 14–01–2022 को प्रतिवादी के जरिये अखबारी साया तलबी जारी करने के आदेश किये गये जो दिनांक 26–01–2022 के दैनिक नवज्योति अखबार में सायल किये गये। अखबारी साया के बावजुद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की आरे से कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्व दिनांक 21–03–2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गयी। वादी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी प्रदर्श– 1, प्रतिलिपि जमाबंन्दी प्रर्दर्श– 2, नक्शा एकीकरण प्रदर्श– 3, प्रति अखबार दैनिक नवजयोति दिनांक 26–01–22 प्रदर्श– 4, प्रतिलिपि स्टाम्प प्रदर्श– 5, पेश किया तथा गवाह पीडब्लू– 1 मूलचन्द, पीडब्लू– 2 रामावतार, पीडब्लू– 3 हरिप्रसाद, पीडब्लू– 4 बजरगलाल सैनी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल किया गया।

बहस एकतरफा वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी वादग्रस्त वादी की खातेदारी भूमियो के समीप स्थित है जिस पर वादी विगत 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज है तथा प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से बेकब्जा है। वादी, प्रतिवादीगण की जानकारी तथा विरोध के बावजुद निरंतर लगातार 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज है वादी को बाई आपरेशन ऑफ लॉ आराजी वादग्रस्त पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त से खातेदारी अधिकारी विलुप्त हो चुके है तथा वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा बेदखली का वाद लाने की मियाद 12 वर्ष है जो अर्सा पूर्व गुजर चुकी है तथा इकरारनामा दिनांक 07–06–1978 की भी लगभग 44 वर्षो से अधिक का समय हो चुका है जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी वादग्रस्त पर वादी के कब्जे के बारे मे उनकी जानकारी का प्रमाण है। वादी ने अपने वाद तथा कब्जे के तथ्य के समर्थन मे स्वयं के अतिरिक्त पीडब्लू– 2 रामावतार उम्र 49 वर्ष, पीडब्लू– 3 हरिप्रसाद उम्र 75 वर्ष, पीडब्लू– 4 बजरगलाल सैनी उम्र 76 वर्ष के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनकी उम्र के अनुसार अनुभव के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित किया है कि आराजी वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण को कभी भी काबिज नही देखा है तथा वादी के कब्जे काश्त के बाबत कथन किये है अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि उसने अपना वाद प्रस्तुत अभिवचनो दस्तावेजात तथा साक्ष्य से पूरी तरह साबित किया है इसलिए वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जावे। इसके समर्थन में वादी के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1354 एस.सी. पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे के तथ्य को देखा जाये तो यह तथ्य गवाहान रामावतार, हरिप्रसाद, बंजरंगलाल की साक्ष्य से सुस्पष्ट है कि वादी आराजी वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज है, इस बाबत एक और तथ्य इकरारनामा दिनांक 07–06–1978 से स्पष्ट होता है कि वादी आराजी वादग्रस्त पर काबिज है। इकरारनामा दिनांक 07–06–1978 को वाद के मूल के रूप में नही पढा जाकर समपारिर्श्वक (केलेटरल) उद्देश्य से पढा जावे तो भी यह तथ्य सुप्रमाणित हैं कि प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त पर वादी के कब्जे की जानकारी अर्सा करीबन 44 वर्षो पूर्व से है बावजुद इसके प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्व आराजी वादग्रस्त से बेदखल का वाद प्रस्तुत नही किया जिसकी मियाद वाद हैतुक जानकारी से 12 वर्ष की है इस प्रकार प्रतिवादगण को वादी के विरूद्व बेदखली के वाद की मियाद गुजरे भी काफी अर्सा हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का आराजी वादग्रस्त पर काबिज होने का भी कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है साथ प्रतिवादीगण का अखबारी साया के बावजुद अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित नही होना प्रतिवादीगण के अधिकारो के प्रति उपेक्षा के पक्ष को प्रमाणित करता है। सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेज व गवाहान के शपथपत्रो से यह तथ्य सुप्रमाणित है कि वादी आराजी वादग्रस्त पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निरंतर निर्विहन तथा प्रतिवादीगण की जानकारी के बावजुद काबिज रहकर उपयोग करता आ रहा है इसलिए हमारी राय मे वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 4272/877 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 4273/877 रबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 874 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट का वादी को उद्घोषित कर खातेदारी काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है तथा नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपजिलाधीश लालसोट जिला दौसा

बइजलास – श्री मोहरसिह मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 2116 दिनांक रजु : 13/7/16
पीठासीन अधिकारी : श्री मोहरसिंह मीना आर.ए.एस.
उपजिलाधीश लालसोट

मूलचन्द पुत्र गल्लूराम जाति माली निवासी बावड़ी वालो की ढाणी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. धन्नालाल } पि0 श्रीनारायण
2. पन्नालाल }
3. रघूनाथ } पि0 चुन्नीलाल
4. मूलचन्द }
5. नानगराम } पि0 सुखपाल
6. रामगोपाल }

जाति महाजन निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज0

7. पांल्या } पि0 बिरदा जाति माली निवासी कस्बा लालसोट जिला
8. गैन्दा } दौसा राज0
9. रामप्रसाद पुत्र हरिराम जाति ब्रह्मण निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज0
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद अधिघोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0 बा0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 01-7-22

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....व हाजिरी .....मिनजाबिन मुद्दई रूबरू ..... मिनजाबिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी बाबत् अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 4272/877 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 4273/877 रबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 874 रकबा 03 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 14 बिस्वा वाकै करबा लालसोट तहसील लालसोट का वादी को उदघोषित कर खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से सैदेव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि मे वादी की आराजी के कब्जे काश्त बुआई जुताई आदि कृषि कार्य करने कराने मे किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करे न करावे । तदनुसार उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख मे पालना करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करें।

निज ....मुबलिग ....बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सलाना आज की तारीख से मारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....01..........माह....7.......सन्....2022... को जारी की गई।

दस्तखत..............................

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस गवाहान		
फीस गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्माना		
बाबत इजराय हुक्माना			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	nil	nil	मीजान	nil	nil

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।